182

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

E-mail पत्रांक-6ए/वि01-10106/2020- 2884

प्रेषक,

दयाशंकर मिश्र,
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 17/12/2020

विषय: पूर्ण की गयी जलापूर्ति योजनाओं की Commissioning तथा Trial Run से संबंधित दिशा–निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनके Commissioning एवं Trial Run किस तिथि से प्रभावी माना जाय, इसमें क्षेत्रीय पदाधिकारियों में एकरूपता बरतने हेतु स्पष्ट दिशा–निदेश की आवश्कता महसूस की जा रही थी।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं अन्य बिन्दुओं पर विभाग द्वारा विचारोपरांत योजना के Commissioning एवं Trial Run निम्नवत् मानी जाएगी:–

1. प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा विभिन्न एकरारनामा के Commissioning एवं Trial run प्रारभ करने हेतु संवेदक से विहित प्रपत्र में Completion Report (Completion Drawing के साथ) प्राप्त करने हेतु Check List निर्गत किया जाएगा। जिसमें एकरारनामा के तहत अवयववार किये जाने वाले कार्यों की कुल मात्रा अंकित रहेगी।
2. कार्य पूर्णता के उपरांत Check List में कराये गये कार्यों की अवयववार कुल मात्रा को अंकित करते हुए तथा योजना के (G.A.D.) General Arrangement Drawing तथा पूर्ण किये गये वितरण प्रणाली का अंतिम Drawing (गॉव के प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हुए) संवेदक द्वारा क्षेत्र के संबंधित कनीय अभियंता को समर्पित किया जाएगा।
3. कनीय अभियंता द्वारा सात दिनों के अंदर योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों की मापी कर कार्यों का सत्यापन करते हुए Completion Report से संबंधित प्रपत्र (Check List) में Final Drawing को हस्ताक्षरित किया जाएगा। साथ ही साथ यह प्रमाण पत्र भी अंकित किया जाएगा कि सभी कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता ढंग से पूर्ण कराये गये है।
4. कनीय अभियंता से उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अगले पाँच दिनों के अंदर सहायक अभियंता द्वारा अपने स्तर से Random रूप से कार्यों का भौतिक सत्यापन (कोडल प्रावधान के अनुरूप) करते हुए प्रतिवेदन/ ड्राईंग एवं प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करते हुए कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया जाएगा।

5. योजना के सभी अवयवों का कार्य पूर्ण होने तथा 90-95% प्रतिशत गृह संयोजन पूर्ण होने पर योजना का Commissioning होने पर Trial Run हेतु पत्र कार्यपालक अभियंता द्वारा एजेन्सी / संवेदक को पत्र निर्गत किया जायेगा। Trial Run अवधि आरंभ होने के 15 दिनों के अंदर शेष बचे सभी गृह जल संयोजन का कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा। ट्रायल रन आरंभ होने के पूर्व विद्युत संयोजन अनिवार्य होगा।

6. सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत सहायक अभियंता द्वारा संवेदक को संबंधित योजना का 15 दिनों के अंदर Social Audit प्राप्त करने का निदेश दिया जाएगा। PWS/MVS का Social Audit ग्रामीण विकास विभाग के Social Audit Society द्वारा किया जाएगा। जबकि Ward Level योजनाओं का Social Audit कार्य WIMC द्वारा किया जायेगा। अगर WIMC असहयोग करेगा तो वैसी स्थिति में संबंधित AE द्वारा लाभुक समूह की उपस्थिति में, जिसका Quorum कम–से–कम 25% लाभुक होंगे, Social Audit करवाया जाएगा। Social Audit में प्राप्त कमियों को Trial Run के शेष बचे 2 माह के अंदर संवेदक द्वारा दूर कर लिया जायेगा। तदुपरांत सहायक अभियंता द्वारा इसकी जाँच कर योजना विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

7. कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता से योजना का Completion Report (Completion Drawing सहित) तथा कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र (Ward Level Scheme के मामले में) तथा PWS/MVS के मामले में कार्य की पूर्णता एवं गुणवत्ता स्वयं सुनिश्चित करने के उपरांत योजना के O&M हेतु पत्र कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत किया जाएगा।

8. योजना का Trial Run आरंभ होने के पूर्व यदि सीधी जलापूर्ति का आदेश संवेदक को दिया जाता है वैसी स्थिति में बिजली बिल का Actual के आधार पर Reimbursment किया जा सकता है। यद्यपि इसके लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता का आदेश प्राप्त कर लेना श्रेयस्कर होगा। परन्तु यदि संवेदक के कारण योजना पूर्ण होने में विलंब हो रहा है तो वैसी स्थिति में संवेदक का दावा मान्य नहीं होगा।

9. वर्ल्ड बैंक सम्पोषित योजनाओं का Commissoning, Trial Run एवं Social Auditing वर्ल्ड बैंक के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

10. कार्यपालक अभियंता Trial Run या O&M का आदेश घटनोत्तर प्रभाव से नहीं दिया जाएगा।

11. Quality Manual में अवयव बार विस्तृत Checklist दी गयी है। Trial Run से पहले, संवेदक द्वारा उक्त Checklist में वह सभी सूचनाओं को भरकर दिया जायेगा, जिसको JE/ AE /EE द्वारा PWD Code के प्रावधानों के आलोक में समीक्षा कर अनुमोदित किया जायेगा। बिना उक्त के Trial Run चालू नहीं किया जायेगा। इन अभिलेखों को प्रमंडल स्तर पर संबंधित एकरारनामा के साथ संधारित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2884 पटना, दिनांक– 17/12/20

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव